



**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केन्द्र" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)  
1398, प्रथम तल, चौदवी चौक,  
दिल्ली-110006, दूरभाष: 011-23832226

**मेगा ई-नीलामी**  
**बिक्री सूचना**  
(सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

## परिशिष्ट - IV - A | नियम 8(6) का प्रावधान देखें | अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।**

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिक्री 12.10.2021 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) अथवा <https://ibapi.in> में प्रावधानित लिंक देखें।

### 12.10.2021 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (30 दिवसीय सूचना)

क्र.सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मौग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	कर्म की तिथि एवं प्रकार	रु. लाख में आंशिक/पूर्ण ईएमडी/सौदा की राशि
1.	घोणडा दिल्ली	श्री प्रकाश कुमार सिंह मोवाइल: 9999917130	कुवेर एण्टरप्राइज	2 दुकानों से युक्त वाणिज्यिक सम्पत्ति, ए-31/11 एम, खसरा नम्बर 379 का भाग, गौव मौजपुर, शास्त्री मार्ग, मौजपुर, शाहदरा, दिल्ली-110053. क्षेत्रफल 40 वर्गगज। <b>मालिक-महेन्द्र सिंह</b>	29.01.2019 रु.44.08 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/पुनर्भुगतान	20.09.2019 (भौतिक कब्जा) ₹ 53.47 लाख ₹ 5.35 लाख ₹ 0.53 लाख	₹ 53.47 लाख ₹ 5.35 लाख ₹ 0.53 लाख
2.	प्रेस एरिया नई दिल्ली	श्री आर.जी. मीणा मोवाइल: 6396099206	श्री प्रिन्स प्रो. लि.	सम्पत्ति का 1/7 वा हिस्सा संख्या 2228 (छत के अधिकार के साथ, पहली, दूसरी एवं मैजनाइन मंजिल के साथ) वार्ड नं.8, काली मस्जिद शंकर गली, बाजार सीताराम, दिल्ली-06 (क्षेत्रफल 65.9 वर्ग गज) <b>मालिक-कुण्ड लता</b>	11.12.2018 रु.109.50 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/पुनर्भुगतान	05.02.2021 (भौतिक कब्जा) ₹ 57.00 लाख ₹ 5.70 लाख ₹ 0.57 लाख	₹ 57.00 लाख ₹ 5.70 लाख ₹ 0.57 लाख
3.	श्याम लाल कॉलेज दिल्ली	श्री पिपुष देवांगन मोवाइल: 9999210653	क्लाउड नाइन	दूसरी मंजिल, आवासीय फ्लैट (छत के अधिकार के बिना) नं. 16/399-ई, पदम सिंह रोड, बापा नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. क्षेत्रफल 909 वर्ग फीट. <b>मालिक-मोहम्मद अंसारी</b>	28.01.2019 रु.49.71 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/पुनर्भुगतान	09.03.2021 (भौतिक कब्जा) ₹ 49.50 लाख ₹ 4.95 लाख ₹ 0.50 लाख	₹ 49.50 लाख ₹ 4.95 लाख ₹ 0.50 लाख

**ई-नीलामी की तिथि: 12.10.2021, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सायंक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित।**

**ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय: 11.10.2021 को 04:00 बजे अप. तक।** सर्विदाकार वेबसाइट: <https://www.mstcecommerce.com> पर पंजीकरण करेगे तथा केवाईडी दस्तावेज जमा करेगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ अन्तरण से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी बालेट में जमा की जानी है (<https://www.mstcecommerce.com>) से चालान के सृजन के बाद)। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता <https://www.mstcecommerce.com> के माध्यम से संचालित की जायेगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर आयोजित की जायेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) अथवा नीलामी प्लेटफॉर्म (<https://mstcecommerce.com>) में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.: 033-22901004.

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना**

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अवगत ब्याज एवं अनुबंधी व्ययों सहित उपयुक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूली किया जायेगा।

**दिनांक: 04.09.2021**

**स्थान: दिल्ली**

**प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), चौदवी चौक, दिल्ली**

### पूर्ण नियम एवं शर्तें:

(1) अधोदस्तावेजी द्वारा यह तिथि 24.09.2021 (12:00 बजे अप. से 4:00 बजे सायंक) को वेबसाइट: <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के द्वारा की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता/क्रेताओं से अनुरोध है कि अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी का उपयोग करने हुए पोटल (<https://www.mstcauction.com>) पर पंजीकरण करायें। ध्यान: उनसे आग्रह है कि केवाईडी दस्तावेजों को अपलोड करें। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईडी दस्तावेजों की एक बार जाँच कर लेने के बाद (जिसमें 2 कार्य दिवस लागू सकता है) इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को नीलामी के समय से पूर्व अंतिम में अपने ग्लोबल ईएमडी बालेट में ऑनलाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए ईएमडी राशि अंतर्गत करना होगा। यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी बालेट में उपलब्ध नहीं होता है तो सिस्टम में बोली की अनुमति नहीं दी जायेगी। पंजीकरण, केवाईडी दस्तावेजों की जाँच तथा बालेट में ईएमडी का अंतरण नीलामी से पूर्व अंतिम में किया जायेगा। बोलीदाता एक या सभी सम्पत्तियों के लिए अपनी बोली दे सकते हैं। उनके बालेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि को बोली करने के लिए योग्य होगा। बोलीदाता के ग्लोबल बालेट में बोली के समय में प्रत्येक शेष (>= ईएमडी राशि) होनी चाहिए। सबसे अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्तावों के मामले में बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ईएमडी जमा करना होगा। (2) उपरोक्त धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) राशि का भुगतान बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी बालेट में एनईएफटी/अन्तरण (<https://www.mstcecommerce.com>) से चालान निर्माण के बाद ऑनलाइन किया जायेगा। एनईएफटी अन्तरण किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ही किया जा सकता है। चेक जैसे किसी अन्य पद्धति से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपने बालेट में वांछित ईएमडी का भुगतान नहीं करने वाले बोलीदाताओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटी जायेगी। (3) ई-नीलामी के लिये प्लेटफॉर्म (<https://www.mstcecommerce.com>) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएससीटी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020, इच्छुक बोलीदाता क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट: <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस सेवा प्रदाता द्वारा पोटल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन/प्रशिक्षण भी दी जायेगी। बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल बिक्री सूचना बैंक की वेबसाइट/रूप/ वेबपेज पोटल: <http://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ibapi.in> तथा <https://www.mstcecommerce.com> पर भी उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक भागीदार बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी से सम्बन्धित ई-नीलामी के प्रचलनात्मक भाग पर हेल्प मैन्युअल की प्रतियाँ E-bay/IBAPI पोटल (<https://ibapi.in>) से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। (4) जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर या उसके ऊपर होगी तथा ई-नीलामी के दौरान बोलीदाता को क्रेता की गई अंतिम बोली से ऊपर तथा अधिक तथा बोलीदाता की अंतिम उच्च बोली के लिए ऊपर तालिका में दी गई बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि द्वारा इन्टरसे बिलिंग में उच्च बोली के प्रस्ताव की अनुमति होगी। सम्पत्ति को अधोदस्तावेजी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेदा जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे कोट की गई बोली निरस्त कर दी जायेगी। बोलीदाता सार्वजनिक बिक्री सूचना / बिक्री के नियमों एवं शर्तों में निर्दिष्ट राशि के गुणकों में अपनी बोली में वृद्धि कर सकते हैं। अंतिम दस मिनटों में बोली की प्राप्ति के मामले में 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जायेगा। सम्पत्ति के लिए गुणकों कोट करने के लिए बोलीदाता को दस मिनटों का समय दिया जायेगा तथा यदि दस मिनटों की समाप्ति के बाद किसी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली इस्तुत नहीं की जाती है तो ई-नीलामी बंद कर दी जायेगी। (5) इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी के प्रचलनात्मक भाग पर सहायता मैन्युअल का उपयुक्त रूप से अध्ययन कर लें तथा पूरी तरह से उसका पालन करें। (6) किसी प्रकार की कठिनाई अथवा ई-नीलामी प्रक्रिया से पूर्व अथवा उसके दौरान यदि किसी सहायता की जरूरत हो तो वे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता (<https://www.mstcecommerce.com>) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें जिसका विवरण ई-नीलामी पोटल पर उपलब्ध है। (7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी के निर्धारण के बाद केवल सफल बोलीदाता को ही हमारे ऊपर वर्णित सेवा प्रदाता द्वारा एमएसएमई-मेल द्वारा (उनके द्वारा दी गई/सेवा प्रदाता के पास वंजीकृत मोबाइल नं./ई-मेल पते पर) इसकी सूचना दी जायेगी। (8) सफल बोलीदाता को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक एनईएफटी/आरटीजीएस अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी बालेट में जमा की जानी है (<https://www.mstcecommerce.com>) से चालान के सृजन के बाद) जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर 25% (पच्चीस प्रतिशत) बोली राशि का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। निर्धारित समय में उपरोक्त राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक के लिये जन्म कर ली जायेगी तथा प्राधिकृत अधिकारी नई नीलामी / सम्पत्ति की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा चूक करने वाले क्रेता का जन्म की गई राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दवा नहीं होगी। (9) भुगतान में चूक: उसी दिन अथवा उपरोक्त रूप में अगले कार्यदिवस तक 25% बोली राशि (ईएमडी को बत्ताकर) एवं/अथवा निर्धारित समय में शेष 75% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर बिक्री सूचना के बोली स्वतः रद्द हो जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी तथा अन्य कोई भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जन्म कर ली जायेगी। (10) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री राशि का भुगतान आवश्यक अधिनियम, 1961 की धारा 194-आरएफ के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता को शेष 75% बोली राशि के भुगतान के समय में ही टीडीएस का भुगतान करना होगा। (11) सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेंगे। क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण शुल्कों, सरकारी/किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी सांविधिक देयताओं, करों, नीलामी तथा स्टैम्प, सम्पत्तियों से संबंधित वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए सहित स्टैम्प शुल्कों का वहन करना होगा। (12) बिक्री प्रमाणपत्र में बोली में वर्णित जमा के अतिरिक्त किसी अन्य नामों को शामिल /स्वस्टीट्यूट करने के लिए किसी अन्य राशि पर विचार नहीं की जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी की जायेगी। (13) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य कौट द्वारा पारित किसी न्यायन/इंजक्शन/प्रतिबंध के प्रचालन लब्धित रहने के दौरान बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं की जायेगी। आगे, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र का निष्पादन लब्धित रहने के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि गैर-ब्याज वाला जमा खाता में रखी जायेगी। बिक्री के अधिकांश अथवा सम्पूर्ण/निरस्तन की स्थिति में जमा की गई राशि की वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही की स्थिति में नीलामी को हेल्ड हो या निरस्त कर दी जायेगी तथा बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों का इस निलम्बन अथवा निरस्तन के लिये क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, अथवा लागत के लिए दवा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। (14) प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा यदि पूर्व के बोलीदाता निष्पादन करने में विफल होते हैं तो निष्पादन करने के लिए अगले उच्च बोलीदाता को आमंत्रित करने सहित बिना कोई कारण बताये बिक्री की बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/निष्पत्ति / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। (15) इच्छुक क्रेता अपने स्वयं के खर्च पर उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक में उपलब्ध टाईलड दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता 23.09.2021 से पूर्व कार्यालय पर सम्पत्ति के सन्दर्भ बैंक ऑफ इंडिया से सम्पर्क कर सकते हैं। (16) सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वही है" आधार पर की जा रही है तथा इच्छुक क्रेता अधिकारों तथा बिक्री कर आवश्यक/जीएसटी / आयकर विभाग तथा बैंक के प्रभारों जैसे किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारों तथा दायें/अधिकार/देयताओं/प्रभारों के विषय में सम्बन्धित रजिस्ट्रार/एसआरओ/जखब अभिलेखों/अथवा किसी प्राधिकृत प्राधिकरणों से अपने स्वयं के हित में स्वतंत्र पूछताछ कर सकते हैं तथा अपनी बोली जन्म करने से पूर्व सम्पत्ति पर टाइटल के प्रकार, विवरण, विस्तार, गुणवत्ता, माता, स्थिति, अधिभार, लिप्य, चार्ज, सांविधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करती है तथा उसे ऐसा करना हुआ नहीं माना जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी/निर्भूत कंटेनर किसी भी रूप में किसी तीसरी पार्टी के दावों/अधिकारों/उपरोक्त को छोड़कर (यदि कोई हो) देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद किसी के लिये रद्द की गई सम्पत्ति पर चार्ज/अधिकारों अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य विषयों आदि से सम्बन्धित किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी। (17) यह बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के संबंध में कोई भी अनुमति/लाइसेंस, एनआईओ आदि प्राप्त करने अथवा किसी भी बकायों जैसे करों/सेवा प्रभारों, चार्ज, अन्तरण शुल्कों, विजली के बकायों, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण / को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी अथवा किसी अन्य देयताओं, जल, लैंडिंग, शुल्कों, उक्त सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित अन्तरण शुल्कों, यदि कोई हो, जैसी किसी भी देयताओं के लिये उक्त देयताओं में शामिल हैं। (18) यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। (19) यह बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में निर्दिष्ट नियमों/शर्तों/प्रावधानों तथा उपरोक्त शर्तों के अधीन होगा। आगे विवरणों, यदि कोई हो, के लिये संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।